



राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph: 0141-2706736 (0)

क्रमांक: एक4 (16)आकांक्षी/नि.सं./2020/ 1085
आदेश


दिनांक- 21/8/2020

राजस्थान सरकार की शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी विद्यमान, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालयों की अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 से 2022-2023 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालयों का संचालन हेतु अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है--

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	राज्यीय विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
क.आर. मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, मंगरिया, हनुमानगढ़।	क.आर. कल्या महाविद्यालय 18 बीजीपी पालावाली, तहसील-संवर्धिया, हनुमानगढ़।	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, पत्राचार साहित्य, समाजशास्त्र, जूडो, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, सुगौल, हिन्दी साहित्य, विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, प्राणिक संकाय- एबीएसटी, ध्यात्वतान्त्रिक प्रशासन, इंटरप्रेशन।


1. संस्था प्रत्येक सत्र में निम्नलिखित अवधि में निम्नानुसार पाठ्य-वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2020-21 में निर्धारित प्रवेश में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिपूर्वक हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति तत्पश्चात् तीन सत्रों में शान्तिनगरानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) को प्रत्येक 6 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा माहंगा तथा अखिलेख उपलब्ध करावेगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विभिन्न महाविद्यालयों के प्रकरण में बीएसईआर में मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता एवं अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था प्रथम अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारि प्राचार्य, आनंदिन विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारि अयोगिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवार सॉफ्ट वार्ड आर्किव विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय-कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तब संस्था सांख्यिक में जो प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) मरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिनों में निदेशालय में प्रस्तुत करेगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं सरकार निदेशालय को भेजेगी।

उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, जयपुर, हनुमानगढ़।
5. निदेशक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त प्रतिलिपि।


संयुक्त-निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर